२५/५/२४

पत्रावली अप्रार्थी सं० 8 के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वकील प्रार्थी श्री मुकेश चौधरी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पूर्व में अन्य वाद विचाराधीन है फिर भी अन्य वाद होते हुए यह प्रार्थना पत्र में न्यायालय से हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिससे अप्रार्थीगण अपनी आराजी पर जल संग्रहण हेतु टांका नहीं बना पा रहे हैं जिससे किसान को काफी हानी हो रही है।

वकील प्रार्थी ने आग्रह किया कि यदि अप्रार्थी खसरा सं० 214 में पानी का टांका बनावे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है किन्तु हाल ही में प्रचलित रास्ते पर टांका नहीं बनावे।

इस पर वकील अप्रार्थी ने सहमति व्यक्त की। अतः दोनों पक्षों की बहस उपरान्त न्यायहित में अप्रार्थी को रास्ता न व्यवधान रखते हुए टांका बनाने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.06.13 10:33:00 IST
Reason: Self-Attested